बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :- **राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में त्वरित गति से विकास लाने हेतु चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु संशोधित प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति।**

बिहार राज्य की 89 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है एवं बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर मुख्य रूप से निर्भर है। कृषि आधारित उद्योगों में चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है एवं राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिसमें से एक राज्य की नई औद्योगिक नीति–2011 है और इस औद्योगिक नीति के आलोक में यह आवश्यक हो गया है कि चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों के लिए भी पूर्व में निर्गत प्रोत्साहन पैकेज–2006 में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया जाय। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष–2005 तक बिहार राज्य में सिर्फ 10 चीनी मिले ही कार्यरत थी जिनकी कुल पेराई क्षमता 33500 टी.सी.डी. थी। प्रोत्साहन पैकेज–2006 के लागू होने के उपरान्त वर्तमान में राज्य में 12 चीनी मिलें कार्यरत है जिसकी कुल पेराई क्षमता बढ़कर 57500 टी.सी.डी. हो गई है और इस पेराई सत्र तक यह क्षमता बढ़कर करीब 60000 टी.सी.डी. हो जायेगी। शीरा पर आधारित डिस्टीलरी की क्षमता सिर्फ 75 के.एल.पी.डी. था जो अब बढ़कर 290 के.एल.पी.डी. हो गया है। चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों के द्वारा पूर्व में विद्युत–सह–उत्पादन नहीं किया जाता था। अब लगभग चीनी मिलों द्वारा 70 मेगावाट का विद्युत–सह–उत्पादन किया जा रहा है एवं 50 मेगावाट बिहार राज्य विद्युत–सह–उत्पादन को आपूर्त्ति की जा रही है। इन बातों के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और खासकर चीनी मिलों के क्षेत्रों मे रहनेवाले ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के आय में वृद्धि हुई है तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है।

2. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीनी मिलों के तकनीकी उन्नयन एवं क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करने तथा नई चीनी मिलों की स्थापना/गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु पूर्व में निर्गत प्रोत्साहन पैकेज–2006 में संशोधन आवश्यक हो गया है। इस संबंध में राज्य के द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति–2011, उद्यमी पंचायत में बिहार सुगर मिल एसोशिएशन द्वारा प्राप्त सुझाव एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सुझावों की समीक्षा के उपरान्त यह महसूस किया गया कि वर्तमान में निर्गत प्रोत्साहन पैकेज–2006 में संशोधन की अत्यंत आवश्यकता है और इसी के आलोक में राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र/सहकारिता क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा नई चीनी मिलें/गन्ना पर आधारित उद्योगों डिस्टीलरी/इथेनॉल, विद्युत–सह–उत्पादन इकाई की स्थापना एवं वर्तमान चीनी मिलों एवं गन्ना आधारित उद्योगों के क्षमता विस्तार डिस्टीलरी एवं इथेनॉल के क्षमता विस्तार एवं विद्युत–सह–उत्पादन के क्षमता विस्तार हेतु संशोधित प्रोत्साहन पैकेज–2014 की घोषणा की जाती है :–

उपरोक्त के आलोक मे राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन पैकेज--2014 के अन्तर्गत निम्नांकित रियायतें/छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है:-

(क) नई चीनी मिलो की स्थापना/कार्यरत चीनी मिलो के क्षमता विस्तार पर प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत अनुदान/छूट :-

(i) इस नीति के तहत दिये जानेवाले अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति न्यूनतम 2500 टी.सी.डी. की नई चीनी मिलों की स्थापना तथा कार्यरत चीनी मिलो का न्यूनतम 1500 टी.सी.डी. से क्षमता विस्तार करने पर देय होगी।

(ii) अचल पूंजी निवेश (प्लान्ट एवं मशीनरी) के क्रय एवं स्थापना (Erection and Commissioning) एवं स्थापना हेतु नींव निर्माण) पर 20 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 15 करोड रूपये की राशि दोनों में जो कम हो देय होगी।

यह अनुदान न्यूनतम 2500 टी.सी.डी. की नई चीनी मिलों की स्थापना पर देय होगा। वर्तमान में कार्यरत चीनी मिलें भी अगर अपनी क्षमता का विस्तार न्यूनतम 1500 टी.सी.डी. करने के उपरान्त तद्नुरूप पेराई क्षमता का प्रदर्शन करती है तो उन्हें भी इस विस्तारित क्षमता के लिए अचल पूंजी निवेश (प्लान्ट एवं उपकरण के क्रय एवं स्थापना (Erection and Commissioning) एवं स्थापना हेतु नींव निर्माण) पर उपरोक्त दर पर अनुदान देय होगा।

(iii) नई चीनी मिलों की स्थापना/कार्यरत चीनी मिलों के क्षमता विस्तार करने के उपरान्त क्रय किये गये गन्ना/अतिरिक्त गन्ना पर देय ईख कर की छूट क्षमता प्रदर्शन के वर्ष से से 5 वर्षों तक के लिए देय होगी।

(iv) नई चीनी मिलों की स्थापना के उपरान्त क्षमता प्रदर्शन के वर्ष से 5 वर्षों तक उत्पादित चीनी पर देय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्त्ति की जायेगी। कार्यरत चीनी मिलों द्वारा क्षमता विस्तार के कारण उत्पादित अतिरिक्त चीनी के निमित्त भुगतान किये गये उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्त्ति की जायेगी।

(v) नई चीनी मिलों की स्थापना एवं वर्तमान चीनी मिलों के क्षमता विस्तार हेतु क्रय किये गये भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क की छूट/प्रतिपूर्त्ति देय होगी/की जायेगी।

(ख) डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना/क्षमता विस्तार के लिए अनुदान/छूट:-

(i) इस प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत अनुदान/छूट/प्रतिपूर्त्ति न्यूनतम 30 K.L.P.D. क्षमता की नई डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना तथा कार्यरत डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई का न्यूनतम 15 K.L.P.D. से क्षमता विस्तार करने पर देय होगा।

(ii) अचल पूंजी निवेश (प्लान्ट एवं उपकरण के क्रय एवं स्थापना (Erection and Commissioning) एवं स्थापना हेतु नींव निर्माण) पर 20 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 5 करोड़ रूपये की राशि दोनों में जो कम हो देय होगी।

(iii) छोआ पर प्रशासनिक चार्ज की प्रतिपूर्त्ति की जायेगी।

(iv) छोआ पर भुगतान किये गये वाणिज्यिक कर (वैट) की प्रतिपूर्त्ति की जायेगी।

(v) डिस्टीलरी / इथेनॉल इकाई की स्थापना एवं वर्त्तमान डिस्टीलरी / इथेनॉल इकाई के क्षमता विस्तार हेतु क्रय किये गये भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क की छूट / प्रतिपूर्त्ति की जायेगी।

(vi) कार्यरत डिस्टीलरी के साथ E.N.A / इथेनॉल इकाई जोडेने के लिए अचल पूंजी निवेश (प्लान्ट एवं उपकरण के क्रय एवं स्थापना (Erection and Commissioning) एवं स्थापना हेतु नींव निर्माण) पर 20 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 1.00 (एक) करोड़ रूपये की राशि दोनों में जो कम हो देय होगी।

(ग) सह –विद्युत –उत्पादन के लिए रियायतें एवं छूटः–

(i) इस प्रोत्साहन नीति के तहत न्यूनतम 10 मेगावाट की नई सह–विद्युत इकाई की स्थापना तथा कार्यरत सह–विद्युत उत्पादन इकाई के न्यूनतम 5 मेगावाट से क्षमता विस्तार पर अनुदान / छूट देय होगी।

(ii) चीनी मिलों के साथ सह–विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना / क्षमता विस्तार पर किये गये अचल पूंजी निवेश (प्लान्ट एवं उपकरण के क्रय एवं स्थापना (Erection and Commissioning) एवं स्थापना हेतु नींव निर्माण) के निमित्त निर्धारित क्षमता से उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात 20 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 15 करोड़ रूपये दोनों में से जो कम हो देय होगा।

(iii) चीनी मिलों द्वारा सह–विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना / क्षमता विस्तार हेतु क्रय किये गये भूमि पर निबंधन शूल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी से छूट / प्रतिपूर्त्ति की जायेगी।

(iv) चीनी मिलों द्वारा सह–विद्युत उत्पादन किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त उत्पादित विद्युत का क्रय एवं विद्युत संचरण हेतु आवश्यक व्यवस्था बिहार राज्य के संबंधित उपक्रम द्वारा अपने खर्च से की जायेगी।

(घ) विद्युत कर (Electricity Duty) से छूट –

चीनी मिलों द्वारा स्थापित सह–विद्युत उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादित विद्युत का क्रय – अगर राज्य सरकार के संबंधित उपक्रम / कम्पनी द्वारा क्रय किया जाता है तब ऐसे क्रय पर कोई भी विद्युत कर देय नहीं होगा।

Renewable energy स्रोतों से चीनी मिलों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले विद्युत पर 05 वर्षों तक विद्युत कर (Electricity Duty) के भुगतान की छूट प्रदान की जाएगी।

(च) चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना/क्षमता विस्तार हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय पर प्रवेश–कर की छूट–

चीनी तथा गन्ना आधारित नये औद्योगिक इकाई जिसका अधिकतम हिस्सा पूँजी निवेश या कुल पूंजी 200 करोड रूपये से कम हो तो उनके द्वारा चीनी मिलों की स्थापना/क्षमता विस्तार, डिस्टीलरी की स्थापना/क्षमता विस्तार एवं सह–विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना/क्षमता विस्तार हेतु क्रय किये जानेवाले (प्लान्ट एवं मशीनरी) पर भुगतान किये गये प्रवेश–कर की प्रतिपूर्त्ति की जायेगी।

(छ) कृषि रोड मैप अंतर्गत रिकमरी रेट के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष अनुदान–

इस प्रोत्साहन नीति के तहत Recovery Rate के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन नीति के लागू होनेवाले पेराई सत्र के लिए 9.5 प्रतिशत Base Recovery Rate माना जायेगा। इस Base Recovery Rate से प्रत्येक 0.01 प्रतिशत Recovery Rate की वृद्धि पर 2 लाख रूपये की दर से अनुदान देय होगा। तत्पश्चात अगली पेराई सत्रों के लिए Base Recovery Rate में प्रत्येक वर्ष 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर नया Base Recovery Rate निर्धारित किया जायेगा। इस निर्धारित Base Rate से प्रत्येक 0.01 प्रतिशत Recovery Rate की वृद्धि पर 2 लाख रूपये की दर से अनुदान देय होगा।

3. प्रोत्साहन पैकेज निम्नांकित शर्त्तों के अधीन देय होगा :–

(क) उपरोक्त प्रोत्साहन/छूट प्राप्त करने के पश्चात् यदि कम्पनी/इकाई/अपेक्षित न्यूनतम निवेश करने में असफल रहती है तो जितनी धन राशि की प्रोत्साहन/छूट दी गई है, वह 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू–राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

(ख) प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमान्य अनुदान की राशि उन्हीं कम्पनी/ मिलों/इकाइयों को उपलब्ध करवाई जायेगी जिनका उस सत्र तक बकाये ईख मूल्य का भुगतान 98% हो गया हो। उपलब्ध करवाये जाने वाली अनुदान की राशि से सर्वप्रथम संबंधित मिलों द्वारा गन्ना कृषकों का उनका बकाये ईख मूल्य, यदि कोई हो, उसका भुगतान किया जायेगा तथा उसके पश्चात् ही अवशेष राशि का उपयोग अन्य कार्यों में किया जायेगा।

(ग) कम्पनी/इकाई/मिल के विरूद्ध किसी भी पेराई सत्र मे घटतौली की शिकायत प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में उस पेराई सत्र के लिए प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानान्तर्गत अनुमान्य अनुदान की राशि देय नही होगी।

(घ) उत्पादन तिथि का तात्पर्य उस तिथि से होगा जबसे इकाई में निर्धारित क्षमता से जिसके लिए वह निबंधित है, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया हो। उत्पादन तिथि के संबंध में निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(ङ) प्रोत्साहन पैकेज वैसी ही इकाइयों को देय होगी जो राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद/राज्य मंत्रिपरिषद से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करेंगे। नई चीनी मिलों की स्थापना/क्षमता विस्तार के उपरांत व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करनेकी तिथि से 5 वर्षों तक यह छूट देय होगी।

(च) प्रस्तावित चीनी प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे उसे सचिव/प्रधान सचिव के संज्ञान में लाया जायेगा तथा उसपर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव/सचिव गन्ना उद्योग विभाग सदस्य होंगे, का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

(छ) चीनी मिल की स्थापना पर पूँजी निवेश (मशीनरी एवं उपकरण) पर अनुदान राशि का भुगतान वाणिज्यिक उत्पादन करने की तिथि से एक पेराई सत्र तक उत्पादन करने के पश्चात् देय होगा। अगर प्रथम वर्ष में स्थापित/विस्तारित क्षमता का प्रदर्शन चीनी मिलों द्वारा नहीं किया जाता है तो अगले पेंराई सत्र में चीनी मिलों के स्थापित/विस्तारित क्षमता का प्रदर्शन करने के उपरान्त ही अनुदान देय होगा।

(ज) गन्ना से चीनी उद्योग एवं चीनी उद्योग के सह उत्पादों पर देय अनुदान/छूट का लाभ गन्ना से संबंधित अन्य उद्योगो पर भी देय होगा।

(झ) प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत प्राप्त दावों के निस्तार हेतु गन्ना उद्योग विभाग द्वारा आवश्यक मार्गदर्शिका निर्गत की जा सकेगी।

4 प्रोत्साहन नीति के तहत अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति की दावों की समीक्षा ईखायुक्त की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा की जायेगी, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगा :--

(i) ईखायुक्त, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
(ii) उप सचिव/संयुक्त सचिव गन्ना उद्योग विभाग	–	सदस्य
(iii) वित्त विभाग के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(iv) संयुक्त ईखायुक्त	–	सदस्य सचिव
(v) निदेशक तकनीकी निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार पटना	–	सदस्य
(vi) संयुक्त निदेशक, गन्ना उद्योग विभाग बिहार पटना	–	सदस्य

5. इस प्रोत्साहन नीति के तहत अनुमान्य सभी अनुदान/प्रतिपूर्त्ति/छूट निजी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारित क्षेत्र के निवेशकों को देय होगा।

6. पूर्व में निर्गत संकल्प सख्या–ची0नि0–01–03–2005–पार्ट–1–1533 दिनांक– 12.09.2006 को इस संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तथा यह निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
गन्ना उद्योग विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक– 1/रेगु.–7–7005/2012 पटना, दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

ह०/–
प्रधान सचिव
गन्ना उद्योग विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक– 1/रेगु.–7–7005/2012 पटना, दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि –सभी विभाग/विभागाध्यक्षों/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि०/विभाग के सभी पदाधिकारी/बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन/बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स/सी०आई०आई०,पटना क्षेत्र/बिहार सुगर मिल एसोसियेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव
गन्ना उद्योग विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक– 1/रेगु.–7–7005/2012 पटना, दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को उनके दिनांक– 04.03.2014 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या 48 के माध्यम से स्वीकृत निर्णय संबंधी ज्ञापांक 583 दिनांक– 03.03.2014 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव
गन्ना उद्योग विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक– 1/रेगु.–7–7005/2012 593 पटना, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
गन्ना उद्योग विभाग बिहार पटना।